"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक 'छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अगस्त 2015— श्रावण 10, शक 1937

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–4/आठ–परि / 2013.— यतः, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–4/ आठ–परि. / 2013 दिनांक 19 फरवरी, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थात्:–

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य किराया निम्नानुसार होगा:-

(अ) वोल्वो डीलक्स/वातानुकूलित सेवाओं के लिये-

स. क.	सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	वोल्वो डीलक्स/वातानुकूलित	रू. 07.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् 02.20 पैसे प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए।

2.	वोल्वो वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान तथा शयनयान	रू. 07.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् 02.20 पैसे प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए और वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान में सीटों के लिये रू. 02.50 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तथा शयन (बर्थ) के लिये रू. 02.75 प्रति यात्री प्रति वात्री प्रति किलोमीटर।
----	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(आ) वोल्वो डीलक्स / वातानुकूलित सेवाओं से मिन्न-

स. क.	सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	साधारण बस सेवा के लिए	रू. 05.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् 00.85 पैसे प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए।
2.	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	साधारण प्रक्रम वाहन के किराये का 10% (दस प्रतिशत) अधिक।
3.	डीलक्स बस सेवा के लिए	रू. 05.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.10 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए।
4.	डीलक्स रात्रिकालीन सेवा के लिए	रू. 05.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.20 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए।
5.	डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान सेवा वातानुकूलन रहित के लिए।	डीलक्स शयन के लिए रू. 05.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01. 30 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध-शयनयान में सीटों के लिए रू. 01. 10 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर एवं शयन (बर्थ) के लिए रू. 01.30 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।
6.	डीलक्स वातानुकूलित तथा डीलक्स अर्द्ध-शयनयान वातानुकूलन युक्त के लिए।	डीलक्स वातानुकूलित शयनयान के लिए रूपये 05.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.90 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्ध—शयनयान में सीटों के लिए रू. 01.60 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा शयन (बर्थ) के लिए रू. 01.90 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।

टीप :--

- उपरोक्तानुसार संगणित किराए की कुल राशि में, पचास पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा, और पचास पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- 2. रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है, और जिसकी एक ओर की दूरी कम से कम 200 कि.मी. होती हो।
- 3. अनुज्ञा-पत्र तथा ''रात्रिकालीन सेवा'' ''वातानुकूलित'' ''शयनयान'' तथा ''अर्द्ध-शयनयान'' सेवा का प्रकार रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट किया जायेगा और अनुज्ञा-पत्र एवं किराया, सेवा तथा उसके प्रकार के अनुसार संगणित किया जायेगा तथा तद्नुसार जारी किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

अनुसूची

- (1) नीचे उल्लिखित व्यक्ति, एक परिचारक सहित को किराये से छूट दिया जायेगा।
 - (क) दृष्टिहीन व्यक्ति।
 - (ख) मानसिक रूप से मंदबुद्वि व्यक्ति।
 - (ग) निःशक्त व्यक्ति जो दोनों पैरो से चलने में असमर्थ हों।
 - (घ) वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र अस्सी वर्ष या उससे अधिक हो, और
 - (ङ) एच आई व्ही (एड्स) से पीडित व्यक्ति।
- (2) (क) सरल कमांक (1) (ग) में उल्लिखित दोनों पैरों से निःशक्त व्यक्तियों के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र।
 - (ख) एच.आई.व्ही. / एड्स (इम्यून सप्रेस) से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर, ए.आर.टी. केन्द्र या केंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाणपत्र निःशक्त व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक / परिचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) छत्तीसगढ़ का निवासी कोई व्यक्ति, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया ''नक्सल प्रभावित व्यक्ति'' का प्रमाणपत्र रखकर, यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50% किराये के भुगतान से छूट दी जाएगी।
- (4) उपरोक्त उल्लिखित सरल कमांक (1) से (3) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर, अनुज्ञप्तिधारी (परिमट होल्डर) के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरूद्ध धारा 34 के अधीन कमशः कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27 July 2015

NOTIFICATION

No. F 5-4/viii-Trans/2013.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification Number F 5-4/VIII-Tr./2013, dated 19th February, 2015, the State Government, hereby, issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares

with effect from the date of its publication in the Official Gazette for stage carriages other than city services, namely:-

DIRECTION

Fare chargeable by the State Carriages shall be:-

(A) For Volvo Deluxe/ Air-Conditioned Services-

S.No.	Type of Service	Chargeable Passenger Fares
(1)	(2)	(3)
1.	Volvo Deluxe/ Air-Conditioned	Rs. 07.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 02.20 per passenger, per Kilometer or part thereof.
2.	Volvo Air- Conditioned Semi- Sleeper and Sleeper	Rs. 07.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 02.20 per passenger, per Kilometer or part thereof. And in Air- Conditioned semi sleeper for seats Rs. 02.50 per passenger, per kilometer & for Sleeper (berth) Rs. 02.75 per passenger, per Kilometer.

(B) Other than Volvo Deluxe/ Air-Conditioned Services-

S.No.	Type of Service	Chargeable Passenger Fare
(1)	(2)	(3)
1.	For Ordinary Bus Service	Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 00.85 per passenger, per Kilometer or part thereof.
2.	For Ordinary Night Bus Service	10% (Ten percent) excess of the fare of ordinary bus service.
3.	For Deluxe Bus Service	Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.10 per passenger, per Kilometer or part thereof.
4.	For Deluxe Night Service Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and the Rs. 01.20 per passenger, per Kilometer or part thereof.	
5.	For Deluxe Sleeper Coach and Semi-Sleeper Coach Service Non Air-Conditioned.	For Deluxe Sleeper Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.30 per passenger, per Kilometer or part thereof. and in Deluxe Semi-Sleeper for seats Rs. 01.10 per passenger, per Kilometer & for Sleeper (berth) Rs. 01.30 per passenger, per Kilometer.
6.	For Deluxe Air-Conditioned and Semi-Deluxe Sleeper Coach with Air Condition	For Deluxe Sleeper Air-Conditioned Rs. 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter Rs. 01.90 per passenger, per Kilometer or part thereof. And in Deluxe Semi-Sleeper Air-Conditioned for seats Rs. 01.60 per passenger, per Kilometer part thereof and for Sleeper (berth) Rs. 01.90 per passenger, per Kilometer.

Note:-

- 1. For the total amount of fare calculated as per above, any amount exceeding fifty paise shall be rounded off to the next higher rupee, and for any amount less than fifty paise shall be ignored.
- Night Bus Service means a service Ordinarily running during sunset to sunrise and which is running at least a distance of 200 Kms one way.

3. The type of Permit and Service "Night Service", "Air -Condition", "Sleeper Coach", and "Semi-Sleeper Coach" should be calculated as per the type and service and shall be issued accordingly.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below:-

SCHEDULE

- (1) The below mentioned persons along with attendant shall be exempted from fare.
 - (a) Persons with blindness,
 - (b) Mentally retarded,
 - (c) Persons with disability by both the legs,
 - (d) Senior Citizens whose age is eighty years and above,
 - (e) Patients suffering from HIV (AIDS).
- (2) (a) For person with disability by both legs mentioned Serial Number (1)(c), a certificate with photograph issued by the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officer of Government Hospital.
 - (b) For Patients suffering from HIV/AIDS, (Immune suppress) a certificate with photograph issued by the Chief Medical Officer of the District or Officers of the Chhattisgarh State AIDS Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospitals, shall be acceptable and such certificate shall be presented by the Person with disability during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.
- (3) Any person being a resident of Chhattisgarh, carrying a certificate of "Naxal Affected Person" duly issued by the Collector with the recommendation of the Superintendent of Police of the concerned District if shown by travelling by passenger bus within the State, shall be exempted from paying 50% of the fare.
- (4) In case of breach of any conditions mentioned in Serial Number (1) to (3) mentioned above action shall be taken against permit holder under Section 86 and against the conductor under Section 34 of the said Act respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.